रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2008/वैशाख 15, 1930
No. 609]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2008/VAISAKHA 15, 1930

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2008

का.आ. 1086(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 एवं धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) के दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 के सं. का.आ. 1842(अ) के तहत पशुमूल (भारत में आयात) आदेश, 2005 के पेट फूड उत्पादों के अधिक्रमण में, उन वार्ता के सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:–(1) यह आदेश पशुमूल (भारत में आयात) आदेश, 2008 का पेट फूड उत्पाद के नाम से जाना जाएगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं:— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) ''खेप'' से तात्पर्य है पशुमूल के पेट फूड उत्पादों की मात्रा जिसे एक बार लदान पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को खेप दिया गया है तथा एक स्वच्छता आयात प्रमाणपत्र, उत्पाद शुल्क अथवा शिपिंग प्रविष्टि बिल अथवा एयर वे बिल अथवा इवाइस द्वारा कवर किया गया है ।

(ख) ''पदनामित सक्षम प्राधिकारी'' से तात्पर्य है संयुक्त सचिव (व्यापार), भारत सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय अथवा एक ऐसा अधिकारी जो कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निदेशक के पद से कम न हो ।

(ग) ''फार्म'' से तात्पर्य है एक फार्म जो इस आदेश में संलग्न है ।

(घ) 'आयात ' से तात्पर्य है एक अधिनियम जिसके तहत किसी प्रकार के पेट फूड उत्पाद की भारतीय प्रदेश में किसी निर्धारित स्थान पर लाना।

(ङ) 'आयात जोखिम विश्लेषण ' से तात्पर्य है जैविकीय अथवा अन्य वैज्ञानिक एवं आर्थिक साक्ष्य को मूल्यांकित करने संबंधी पद्धति जिसका निर्धारण ड्राइड प्रसंस्कृत पेट फूड के आयात को विनियमित करने के लिए किया गया है तथा इसकी तुलना में किए जाने वाले स्वच्छता एवं फाइटो-स्वच्छता उपाय हैं।

(च) ''निरीक्षण प्राधिकारी'' से तात्पर्य है दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता अथवा चेन्नई स्थित पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र का प्रभारी अथवा कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(छ) 'पशुमूल के पेट फूड उत्पाद ' से तात्पर्य है ड्राइड प्रसंस्कृत व पेट फूड जिसमें एवियन प्रजातियों, सूअर एवं पशुमूल के उत्पादों से मीट एंड मीट उत्पादों के अवयव शामिल हैं जिसका अभिप्राय पौष्टिक दृष्टिकोण से पशु मूल से पशु आहार अथवा अन्य प्रकार के खाद्य योग्य अवयव में उपयोग करना है तथा जिसका उपयोग कुत्ते अथवा बिल्ली को आहार खिलाने के लिए किया जाता है तथा खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तुत कुत्ते अथवा बिल्ली के आहार से संबंधित आईटीसीएचएस कोड 2309.10.00 के तहत कवर किया जाता है।

(ज) 'प्रविष्टि पत्तन ' से तात्पर्य है कोई समुद्री पत्तन, एयरपोर्ट अथवा लैंड बोर्डर चेक पोस्ट अथवा कोई अन्य पत्तन जिसे समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(झ) "जोखिम विश्लेषण समिति " से तात्पर्य है पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय के पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यरत विशेषज्ञों की समिति।

(ञ) "स्वच्छता शर्तों " से तात्पर्य है विनिर्दिष्ट उत्पाद के लिए जोखिम विश्लेषण करने के बाद जोखिम विश्लेषण समिति द्वारा निर्धारित शर्तें;

(ट) "स्वच्छता आयात परमिट " से तात्पर्य है एक सरकारी कागजात जो विनिर्दिष्ट स्वच्छता अपेक्षाओं के अनुसार खेप के आयात को प्राधिकृत करता है।

(ठ) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस आदेश में संलग्न एक अनुसूची।

3. पशुमूल के पेट फूड उत्पाद के आयात के लिए सामान्य शर्तें - भारत में आयात किए जाने वाले पशुमूल के कोई पेट फूड उत्पाद की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी जाएगी, नामतः-

(i) उप-खंड(iv) के तहत जारी एक मान्यता प्राप्त स्वच्छता आयात अनुमति के बिना पशुमूल के पेट फूड उत्पाद संबंधी कोई खेप का आयात भारत में नहीं होगा।

(ii) भूमि, वायुयान अथवा समुद्री यान के जरिए पशुमूल के पेट फूड उत्पाद संबंधी खेप का आयात करने के लिए परमिट प्रदान संबंधी सभी अभ्यावेदन पत्र, पदनामित सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम रूप से कम से कम एक महीने पहले फार्म क अथवा फार्म ख, जो भी लागू हो में पांच प्रतियों में भेजा जाएगा तथा प्रत्येक मद के आयात के लिए अभ्यावेदन पत्र इस आदेश में निर्धारित तरीके से, जैसी भी स्थिति हो, पृथक रूप से फार्म क अथवा ख में किया जाएगा।

(iii) विस्तृत आयात जोखिम विश्लेषण के बाद पशुमूल के पेट फूड उत्पाद के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट जारी किया जाएगा, संबंधित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि खेप का आयात भारत में पशु अथवा मानव दोनों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

(iv) आयात जोखिम विश्लेषण के आधार पर अनुसूची I में यथा-विनिर्दिष्ट पशु स्वास्थ्य शर्तों के अनुसार पशुपालन,डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा एक स्वच्छता आयात परमिट की तुलना में उत्पादों के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(v) लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले कारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को उचित नोटिस देने के बाद जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा परमिट को जारी करने की मनाही अथवा स्थगन किया जा सकता है।

(vi) आयात परमिट विशिष्ट पशु स्वास्थ्य शर्तों को निर्धारित करेगा, जैसा कि आयात परमिट के आधार पर पूरा की जाने वाली अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(vii) अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट देशों से पशुमूल के पेट फूड उत्पाद के आयात को रोका जाएगा।

(viii) संगरोध, निरीक्षणों, नमूने तथा जांच के संबंध में परमिट प्री एवं पोस्ट-शिपमेंट/आयात अपेक्षाओं को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(xi) इस खंड के तहत जारी आयात परमिट मात्र छः महीने की अवधि के लिए मान्य होगा।

(x) केन्द्र सरकार के सिवाय आयात परमिट का स्थानांतरण नहीं होगा।

(xi) उप खंड (ix) के तहत इस प्रकार प्रदत्त किसी आयात परमिट में उस समय तक संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप से रिकार्ड किए गए कारणों तथा सक्षम प्राधकारी के अनुमोदन की शर्तों पर उसकी अनुमति प्रदान न करें।

(xii) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता अथवा चेन्नई स्थित थल, बन्दरगाहों, अथवा हवाई अड्डों अथवा अन्य जगहों के माध्यम से पशुमूल के पेट फूड उत्पाद को भारत में आयात किया जाएगा जैसा कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(xiii) विनिर्माता की सुविधा किसी भी समय भारत सरकार के पशुचिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए प्राप्त की जा सकती है।

(xiv) निर्यातक देश की सरकार द्वारा विनिर्माता की सुविधा को प्राधिकृत किया जाए।

4. प्री-शिपमेंट(आयात) अपेक्षाएं-

(i) सभी खेप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होना चाहिए:

(क) भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) की एक वैध प्रति।

(ख) निर्यातक देश के सरकारी पशुचिकित्सक द्वारा मूल रूप से जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसा कि इस आदेश की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ii) निम्नलिखित विवरण के साथ उसे चिपकाकर विनिर्माता से एवं घोषणा पत्रः-

(क) इस संबंध में एक प्रमाण पत्र कि उन्होंने फार्मों की पहचान सुनिश्चित की है जिससे श्रोत मीट की शुरूआत हुई है तथा

(ख) उत्पाद जिसके लिए घोषणा पत्र लागू है तथा जो अमिट स्याही में लिखा गया है, के बैच नं. को वहन करने वाला प्रमाण पत्र।

5. पोस्ट-शिपमेंट(आयात) अपेक्षाएं-

1. प्रविष्टि बिन्दु पर आगमन के बाद, स्वच्छता आयात परमिट में दी गई विशिष्ट शर्तों तथा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कही भी अपेक्षित हो, पशुमूल के पेट फूड उत्पाद के खेप का निरीक्षण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र के अधिकारी प्रभारी अथवा किसी अन्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. आगमन के बाद, खेप को अनुमति देते समय, रोगों/कीटनाशकों आदि से संबंधित जोखिम विश्लेषण के लिए जांच के उद्देश्य से नमूने लिए जाएंगे।

3. भारत में आयात पर, यादृच्छिक नमूने पेट फूड से लिए जाएंगें तथा उसे एवियन इंफ्लूएंजा की जाँच करने के लिए उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। सकारात्मक कमियों के मामले में, आयात करने वाली एजेंसी की स्थिति में, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

4. आयात कर्ता से बचनबद्धता/अथवा घोषणा-

(क)उत्पादकों की लेबेलिंग स्थानीय/अथवा क्षेत्रीय भाषा में की जाएगी।

(ख) लेबल स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि किसी भी समय, कुत्तों एव बिल्लियों के अलावा आयातित उत्पाद पशु फूड श्रृंखला के अनुरूप होगा।

5. निरीक्षण एवं जांच के बाद, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, संबंधित संगरोध अथवा पशुचिकित्सा प्राधिकारी भारत में पशुमूल के पेट फूड उत्पाद के प्रवेश के लिए संगरोध मंजूरी की अनुमति प्रदान करेंगे अथवा यदि जनहित में अपेक्षित हो तो वे इसको नष्ट करने का आदेश दे सकते है अथवा इसे मूल देश में वापसी करवा सकते है।

6. जहां कही भी, पशुमूल के पेट फूड उत्पाद के बारे में गैर-संक्रमण अथवा कोई अन्य उपचार अपेक्षित समझा जाएगा, आयातकर्ता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक एजेंसी के माध्यम से अपने आप अथवा अपनी लागत पर, प्राधिकृत संगरोध अथवा पशुचिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में खेप के गैर-संक्रमण अथवा अन्य उपचार की व्यवस्था करेगा।

6.आयातकर्ता की जिम्मेदारी:- आयातकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी-

(i) पेट फूड उत्पाद को संबंधित पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र अथवा निरीक्षण, गैर-संक्रमण अथवा उपचार अथवा जांच स्थान तक लाना जैसा कि इस पक्ष में प्राधिकृत संगरोध अथवा पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेश दिया गया है।

(ii) खेप को खोलना, पुनः पैक करना तथा लादना अथवा पशु संगरोध केन्द्र से माल उतारना एवं खेप को सील करना तथा

(iii) भारत सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्राधिकृत संगरोध अथवा पशुचिकित्सा अधिकारी के निदेश के अनुसार, जैसा भी मामला हो, निरीक्षण एवं उपचार अथवा जांच के बाद खेप को हटाना।

7. शर्तों को शिथिल करने संबंधी केन्द्र सरकार की शक्तिः-

केन्द्र सरकार जनहित में तथा लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, भारत में पशु मूल के पेट फूड उत्पाद के आयात के संबंध में प्रदत्त सभी अथवा किसी भी परमिट से संबंधित इस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्तों में छूट दे सकती है।

अनुसूची I

(खंड 3(iv), 3(vi) तथा 4(i)(ख) को देखें)

भारत में पेट फूड के आयात संबंधी पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

1. आयात के लिए सामान्य जानकारी

1.खेप भेजनेवाला (पूर्ण नाम एवं पता	2.स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सं0 तिथि
3.खेप प्राप्त करने वाला (पूर्ण नाम एवं पता	4. मूल देश
5.सक्षम प्राधिकारी	6. लदान का स्थान
7.मात्रा (शब्दों एवं अंको में) 7.1 पैकों की संख्याः 7.2 कुल वजनः	8. खेप का पहचान विवरण (उत्पाद के बैच नम्बर)
9.पेट फूड विनिर्माण करने वाले संयंत्र	10.1 गंतव्य स्थान 10.2 अंतिम गंतव्य स्थान (पूर्ण नाम एवं पता)
11.विनिर्माण करने वाले संयंत्र का पंजीकरण/अधिकृत संख्या (संख्या/तिथि/मान्यता)	12. यातायात का साधन
13. पंजीकरण/अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं पता	

टिप्पणीः-

(क) एक तरह के वायुयान, रेलवे बोगी, लोरी अथवा जहाज में ढुलाई किए गए पेट फूड के प्रत्येक खेप के लिए एक पृथक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए तथा उसी गंतव्य स्थान पर भेजा जाए।

(ख) प्रमाण पत्र की मूल प्रति खेप के साथ उस समय तक संलग्न होना चाहिए जब तक कि यह सीमा निरीक्षण पोस्ट तक न पहुंच जाए।

(ग) यह काम लदान से पहले पूरा होना चाहिए तथा सभी समय सीमा तक इसका संबंध प्रमाणीकरण की तिथि तक होना चाहिए।

(घ) खेप की अनुमति उस समय तक भारत में नहीं होगी जब तक खेप देश में का आगमन के समय कंटेनर का सील बंद हो या सील तोड़ा नही गया हो या जिसे जोखिम पदार्थ के साथ संक्रमण के सबूत अथवा अपर्याप्त प्रमाणीकरण के साथ तोड़ा जा सकता है।

II .पशु स्वास्थ्य शर्तें-

1. अधोहस्ताक्षरी सरकारी पशुचिकित्सक प्रमाणित करते है कि उक्त वर्णित पेट फूड इस प्रकार हैः-

(I) स्वस्थ पशुओं के मीट/मीट उत्पादों से उत्पन्न होता है।

(II) पशु जिसकी एंटी मार्टेम तथा पोस्ट मार्टेम की जांच हुई है, के मीट/मीट उत्पादों से उत्पन्न होता है।

(III) ऐसी जगह जो किसी एवियन इंफ्लूएंजा संक्रमित क्षेत्र की परिधि से 25 कि.मी. बाहर है, से पक्षियों/सूअर से उत्पन्न होता है*

*(अपेक्षित नहीं है यदि देश में एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्त है अथवा उत्पाद में कुक्कुट अथवा सूअर मूल अवयव शामिल नहीं है।)

(IV) निम्नलिखित के सिवाय, यह एक है जिसमें जुगाली करने वाले छोटे पशुमूल के कोई अवयव शामिल नहीं है (पशुमूल के पेट फूड उत्पाद में) नामतः-

(क) दुग्ध/दुग्ध उत्पाद

(ख) ओवाइन अथवा केप्राइन मूल का प्रोटीन मुक्त टेल्लो तथा

(ग) यदि रोगों के टीएसई समूह से मुक्त देशों से आयात किए गए ओवाइन अथवा केप्राइन पदार्थों अथवा अवयवों को पेट फूड में शामिल किया गया है । निम्नलिखित जानकारी दी जाएगीः-

i) अवयव का ब्यौरा;

ii) प्रमाण पत्र संख्या

iii) मूल देश

iv) अवयवों के लिए प्रमाणपत्र जारी करने वाला पशु स्वास्थ्य प्राधिकारी का नाम

v) प्रमाण पत्र को संलग्न करने की तिथि।

(घ) प्रमाणित पदार्थों अथवा उत्पाद के पशुमूल घटकों को इस तरीके से प्रसंस्कृत किया गया है कि 30 मिनटों तक 70°से0 से भी कम एक कोर तापक्रम प्राप्त किया जा सके।

अथवा

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित माइक्रोबायलाजिकल सुरक्षा के बारे में इस एक वैकल्पिक पद्धति प्रदत्त समतुल्य गारंटी के माध्यम से प्रसंस्कृत किया गया है।

V) प्रसंस्करण संयंत्र पर भंडारण के दौरान अथवा बाद में लिए गए प्रत्येक प्रसंस्कृत बैच से कम से कम पांच नमूनों के एक यादृच्छिक नमूने द्वारा इसकी जांच की गई थी इसका संकलन निम्नलिखित मानकों के साथ किया गया है-

- 1ग्रा. (मि.ली) में 5.10^3 एरोबिक एवं फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रों-आर्गेनिज्म' से भी अधिक नहीं

-25 ग्रा.(मि.ली.) में कोई साल्मोनेल्ला

-डिहाइड्रेटेड उत्पादों में जल का क्रिया-कलाप 0.93 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

VI) का उत्पादन निम्नलिखित से नहीं हुआ थाः-

- कृषि उत्पादन के लिए रखे गए पशु जो मरे हुए एवं पैदा न हुए पशुओं सहित तथा कल्याण के कारणों, फार्म पशुओं जिनकी मौत ट्रांजिट में हो गई है, के आपात वध के पूर्वाग्रह के बिना मारे गए परन्तु इनका वध नही किया गया था।

-पशु जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो निश्चित फार्म पर अथवा किसी जगह रोग नियंत्रण पैमानों के संदर्भ में मारा गया था।

- पशुओं से उत्पन्न खून सहित पशु अपशिष्ट जो वध के समय, मानव अथवा पशुओं में फैलने वाले रोग के क्लीनिकल लक्षण आदि के लिए किए जा रहे पशुचिकित्सा निरीक्षण के दौरान दर्शाता है।

- खाल, चर्म, खूर, पंखे, ऊन,सींध, खून एवं एक जैसे उत्पादों के साथ पशुओं के वे भाग जिनका वध सामान्य तरीके से हुआ था तथा जिन्हें पोस्ट मार्टम निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किय गया था।

-मीट, कुक्कुट मीट, मछली, रवेल तथा पशुमूल के खाद्य पदार्थ जिन्हें बर्बाद किया गया था।

-पदार्थ के अपशिष्ट को शामिल करके पशु अपशिष्ट जो मानव अथवा पशु स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकता है।

-एक संक्रमण रोग के क्लीनिकल लक्षणों के कारण मछली अथवा ओफल मछली जिसे मानव उपभोग से अलग रखा गया था।

- उच्च जोखिम पदार्थ से प्राप्त प्रसंस्कृत पशु प्रोटीन।

VII) उपचार और/अथवा प्रसंस्करण के बाद पैथोजेनिक एजेंटों के साथ पुनः प्रदूषण को दूर रखने के लिए सभी सावधानियों को ध्यान में रख गया था।

VIII) नए पैकिंग पदार्थ में पैक किया गया था।

XI) पेट फूड के प्रसंस्करण/विनिर्माण करने वाले संयंत्र एवियन इफ्लूएंजा संक्रमित क्षेत्र के 25 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित है।

X) पैकिंग मात्र सील्ड कंटेनर में है।

1630 GI/08-2

कार्यालय मोहर

को-------------पर जारी----------
पशुचिकित्सक का नाम एवं पता

तिथि ------------------

हस्ताक्षर

अनुसूची II

[खंड 3 (vii) को देखें]

पशुमूल के पेट फूड के आयात के लिए प्रतिबंधित देशों की सूची

यदि पशुमूल के पेट फूड उत्पाद में संचारित स्पोंगिफार्म इंसेफालोपेथी के लिए पोजिटिव देशों से जुगाली करने वाले छोटे पशु मूल से मीट अथवा इसके उत्पादों, खाद्य योग्य अथवा गैर-खाद्य योग्य अवयव अथवा टिस्सू को शामिल किया गया है।

फार्म क

[खंड 3(ii) को देखें]

वैयक्तिक उपभोग के लिए पशुधन उत्पादों के आयात के लिए परमिट संबंधी अभ्यावेदन पत्र

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
व्यापार प्रभाग,
भारत सरकार
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
कृषि मंत्रालय
नई दिल्ली-110001 (पदनामित सक्षम प्राधिकारी)

अधोहस्ताक्षरी पशुमूल के पेट फूड उत्पादों के आयात को प्राधिकृत करने संबंधी परमिट के लिए एतदद्वारा आवेदन करता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है-
(कृपया बड़े अक्षरों में लिखे/टंकित करें)

1. आयात किए जाने वाले आईटीसी(एचएस) कोड के साथ-साथ पशुधन उत्पादों का नाम एवं सही विवरणः
2.खेप का विवरण एवं मात्राः
3.खेप भेजनेवाले का नाम एवं पताः
4.आयातकर्ता का नाम एवं पताः
5.देश एवं स्थान जिसमें उत्पादन किया गयाः
6. देश जहां से भारत में आयात किया गया थाः
7.शिपमेंट का विदेशी पत्तनः
8.भारत में खेप के आगमन की संभावित तिथिः
9.भारत में प्रविष्टि के बिन्दू का नामः
(हवाई अड्डा/बन्दरगाह/स्थल सीमा शुल्क केन्द्र)

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में एकदम सही है।

मैं सभी दस्तावेज एवं प्रमाणपत्रों यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने को वचनबद्ध हूँ, जैसा कि इसके लिए आवेदन किए गए स्वच्छता आयात परमिट में विनिर्दिष्ट किया गया है।

आयात कर्ता अथवा उनके प्राधिकृत अभिकर्ता का हस्ताक्षर

स्थानः नामः

दिनांकः डाक का पताः

फार्म ख

[खंड 3(ii) में देखें]

व्यापार करने/विपणन करने के लिए पशुधन उत्पादों का आयात करने के लिए अभ्यावेदन पत्र

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
व्यापार प्रभाग,
भारत सरकार,
पशुपालन,डेयरी और मत्स्यपालन विभाग,
कृषि मंत्रालय
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001 [पदनामित सक्षम प्राधिकारी]

अधोहस्ताक्षरी पशुमूल के पेट फूड उत्पादों के आयात को प्राधिकृत करने संबंधी परमिट के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

1. आयातकर्ताओं के नाम एवं सम्पूर्ण डाक का पताः-

2.

1.	भारतीय व्यापार वर्गीकरण(समन्वित पद्धति) आईटीसी)एचएस) कोड	पशुधन का ब्यौरा जिससे इसका उत्पादन किया गया है	मात्रा	
			पैकेजों की संख्या	कुल वजन/ आयतन
1	2	3	4(क)	4(ख)

3.आयात किए जाने वाले पशुधन उत्पादन/पदार्थ की पहचान की स्थापना संबंधी पशुधन उत्पाद/उत्पादक की सूची।

4. उत्पादक का नाम एवं पताः-

5. खेप भेजने वाले का नाम एवं पताः

6. देश एवं स्थान जिसमें पशुधन उत्पाद का उत्पादन किया गयाः

7. देश जिससे भारत में आयात किया गया थाः

8. शिपमेंट का विदेशी पत्तनः

9. भारत में खेप के आगमन की संभावित तिथिः

10. भारत में प्रविष्टि के बिन्दु का नाम
(हवाई अड्डा/बन्दरगाह/स्थल सीमा शुल्क केन्द्र)

धोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में एकदम सही है।

मैं कोई अतिरिक्त घोषणा, यदि कोई हो, के साथ एक कार्यालीय स्वच्छता-फाइटो स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को वचनबद्ध हूँ।

आयातकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का हस्ताक्षरः
नामः
डाक का पताः
ई-मेल का पता(यदि कोई हो)

स्थानः
दिनांक

[सं. फा. 109-6/2001-व्यापार]
उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2008

S.O. 1086(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), and in supersession of the Pet Food Products of Animal Origin (Import into India) Order,2005, of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying) vide S.O. number 1842(E) dated 29th December 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby issues the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) This Order may be called the Pet Food Products of Animal Origin (Import into India) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In this Order, unless the context otherwise requires,-

(a) "consignment" means any quantity of pet food products of animal origin consigned from one party to another at one time shipment and covered by a Sanitary Import Certificate, bill of entry of custom or shipping or airways bill or invoice;

(b) "Designated Competent Authority" means the Joint Secretary (Trade), Government of India, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture or any other officer not below the rank of Director specified by the Central Government in that behalf in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in Ministry of Agriculture;

(c) "Form" means a form appended to this Order;

(d) "import" means an act of bringing into a designated place in the territory of India any kind of pet food product;

(e) "Import Risk Analysis" means the process of evaluating biological or other scientific and economic evidence to determine for regulating the import of the Dried Processed Pet Food and the sanitary and phyto-sanitary measures to be taken against it;

(f) "Inspection Authority" means the In-charge of animal quarantine certification centre at Delhi, Mumbai, Kolkata or Chennai or any other officer specified by the Government by notification in the Official Gazette;

(g) "pet food product of animal origin" means Dried Processed pet food containing the ingredients of meat and meat products from avian species, pig and product of animal origin intended for use in animal feeding or other kinds of edible ingredient from animal origin from nutritional point of view used for feeding the dog or cat and covered under the ITC-HS Code 2309.10.00 relating to dog or cat food put up for retail sale;

(h) "port of entry" means any sea port, airport or land border check post or any other port as specified by the Central Government by notification in the Official Gazette, from time to time;

(i) "Risk Analysis Committee" means the committee of experts functioning under the chairmanship of the Animal Husbandry Commissioner of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Ministry of Agriculture;

(j) "sanitary conditions" means the conditions laid down by the Risk Analysis Committee after conducting the risk analysis for the specified product;

(k) "Sanitary Import Permit" means an official document authorizing importation of a consignment in accordance with specified sanitary requirements;

(l) "Schedule" means a schedule appended to this Order.

3. General conditions for Import pet food product of animal origin.– Any pet food product of animal origin shall be permitted by the Central Government to be imported into India subject to the following conditions, namely:-

(i) No consignment of pet food product of animal origin shall be imported into India without a valid sanitary import permit issued under sub-clause (iv).

(ii) All applications for grant of permit to import consignments of pet food product of animal origin by land, air or sea shall be sent in five copies in Form A or Form B, whichever is relevant, at least one month in advance to the Designated Competent Authority and the application for the import of each item shall be made separately in Form A or B, as the case may be, in the manner laid down in this Order.

(iii) The sanitary import permit shall be issued for import of pet food product of animal origin if, after a detailed import risk analysis, the concerned authorities are satisfied that the

import of the consignment shall not adversely affect the health of the animal or human beings or both in India.

(iv) The import of the products shall be allowed against a Sanitary Import Permit to be issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries subject to the Animal Health Conditions as specified in Schedule I on the basis of Import Risk Analysis.

(v) The issue of permit may be refused or withheld by the issuing authority after giving a reasonable notice to the applicant to represent against and for reasons to be recorded in writing.

(vi) The import permit shall lay down the specific Animal Health Conditions as specified in Schedule I to be fulfilled on the basis of import permit.

(vii) The import of the pet food product of animal origin shall be prohibited from the countries as specified in Schedule II.

(viii) The permit shall also specify the pre and post-shipment /import requirements with regard to quarantine inspections, sampling and testing.

(ix) The import permit issued under this clause shall be valid for a period of six months only.

(x) The import permit shall not be transferable except with the leave of the Central Government.

(xi) No import permit so granted under sub clause(ix) shall be amended or varied unless the competent authority so permits for the reasons to be recorded in writing and subject to the approval of the competent authority .

(xii) Pet food product of animal origin shall be imported into India through the land, seaports or airports located at Delhi, Mumbai, Kolkata or Chennai or any other place as may be specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette.

(xiii) The facility of manufacturer may be open for inspection by the veterinary authorities of Govt. of India at any point of time.

(xiv) The facility of the manufacturer should be accredited by the Govt. of the exporting country.

4. **Pre-Shipment (Import) Requirement:-**

(i) All consignments must be accompanied by the following documents :

(a) A Valid copy of the Sanitary Import Permit(SIP) issued by Government of India.
(b) Animal health certificate in original issued by the official veterinarian of the exporting country, as specified in the Schedule -I of this Order.

(ii) A declaration from the manufacturer pasting the same on each contained with following detail :

(a) a certificate to the effect that he has ensured traceability of the farms from which source meat originated; and

(b) with a certificate bearing the batch no. of the product to which the declaration applies which is written in indelible ink .

5. Post -shipment (Import) Requirements:

1. On arrival at the entry point, the consignment of pet food product of animal origin shall be inspected by the Officer-in-charge of the Animal Quarantine and Certification Services Station or any other veterinary officer duly authorized by the Government of India in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, wherever required, in accordance with the specific conditions laid down in the sanitary import permit and the general guidelines issued by that Department from time to time

2. . On arrival, the samples will be drawn for testing for risk analysis pertaining to diseases/pesticides etc. while allowing the consignment.

3. On import into India, the random samples will be taken from the pet food and sent to High Security Animal Disease Laboratory (HSADL), Bhopal for testing against Avian influenza. In case of positive findings, the Department of Animal Husbandry , Dairying and Fisheries, Government of India shall take appropriate action at the cost of importing agency.

4 Undertaking / or Declaration from the importer :

(a) The labeling of the products should be done in local/or regional language.

(b) The label should clearly indicate that at no point of time, the imported product shall find way to animal food chain other than the dogs and cats.

5. After inspection and testing, wherever required, the concerned Quarantine or veterinary authority shall accord quarantine clearance for the entry of the pet food product of animal origin into India or, if required in public interest, order its destruction or its return to the country of origin.

6. Wherever disinfection or any other treatment is considered necessary in respect of pet food product of animal origin, the importer shall, on his own or at his cost through an agency approved by the Government of India in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, arrange for disinfection or other treatment of the consignment, under the supervision of a duly authorized quarantine or veterinary officer.

6. Responsibilities of importer. – It shall be the responsibility of the importer –

(i). to bring the pet food product to the concerned Animal Quarantine and Certification Services Station, or to the place of inspection, disinfection or treatment or testing as directed by the Quarantine or veterinary officer duly authorized on this behalf;

(ii) to open, repack and load into or unload from the Animal Quarantine Station and seal the consignment; and

(iii) to remove the consignment after inspection and treatment or testing, as the case may be, in accordance with the directions of the Quarantine or veterinary officer duly authorized by the Government of India in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

7. Power of Central Government to relax conditions.– The Central Government may, in public interest, and for reasons to be recorded in writing relax any of the conditions specified in this Order relating to all or any permit granted in relation to the import of pet food product of animal origin into India.

SCHEDULE I

[See clause 3.(iv),3.(vi) and 4.(i)(b)*]*

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT OF PET FOODS INTO INDIA

I. GENERAL INFORMATION FOR IMPORTATION

1. Consignor (name and address in full)	2. Health certificate No: Date:
3.Consignee (name and address in full)	4. Country of origin
5. Competent Authority	6. Place of loading:
7. Quantity (in words and figures): 7.1. Number of packs: 7.2 Net weight:	8. Consignment identification details (Batch number of the product/s)
9. Address of pet food manufacturing plant:	10.1. Place of destination: 10.2. Final destination (name and address in full)
11. Registration/ Accreditation number(s) of the manufacturing plant (Number/ Date/ Validity)	12. Mode of Transport:
13. Name and address of the Registration/ Accreditation authority	

N.B.

(a). a separate certificate must be provided for each consignment of pet foods transported in the same aircraft, railway wagon, lorry or ship and consigned to the same destination.

(b). The original of the certificate must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

(c). It must be completed prior to loading and all time limits referred to relate to will relate to the date of certification.

(d). The consignment will not be permitted entry into the India in the event of a consignment arriving in the country either in an unsealed container or in a container the seal of which has been broken or with evidence of contamination en rout with risk material or with inadequate certification.

II. ANIMAL HEALTH CONDITIONS :

1. The undersigned official veterinarian certify, that the pet food described above:

(I) originates from the meat/meat products of healthy animals.

(II) originates from the meat/meat products of animals which have undergone for ante-mortem and post-mortem examinations.

(III) Originates from the birds/ pigs from an establishment which is outside 25 kms radius of any Avian Influenza(AI) infected area*

*(not required if the country is free from AI or product does not contain poultry or pig origin ingredients).

(IV) Is the one in which no ingredients of ruminant origin has been incorporated (in the pet food product of animal origin), except for the following, namely:

(a). the milk / milk products

(b). protein free tallow of ovine or caprine origin; and

(c). If ovine or caprine materials or ingredients imported from the countries free from TSE group of diseases have been incorporated in the pet food. The following information shall have to be provided:

i). Details of ingredients;

ii). Certificate Number

iii). Country of origin

iv). Name of Animal Health Authority issuing Certificate for the ingredients; and

(v). Date of endorsement of the Certificate.

(d) The certified materials or the animal origin components of the product have been processed in a manner to have attained a core temperature not less than 70° C for 30 minutes.

OR

Has been processed through an alternative method offering equivalent guarantees with regards to microbiological safety approved by Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DADF), Government of India.

(V) was examined by a random sampling of at least five samples from each processed batch taken during or after storage at the processing plant, that complies with the following standards -:

- not more than 5.10^3 aerobic and facultative anaerobic micro-organisms in 1 g (ml)
- no Salmonella in 25 g (ml)

-activity of water in dehydrated products must not be higher than 0,93.

VI) was not produced from:

– Animals kept for agricultural production, which died but were not slaughtered, including stillborn and unborn animals, and, without prejudice to instances of emergency slaughtering for reasons of welfare, farm animals that have died in transit,

– animals which were killed in the context of disease control measures either on the farm or in any other place designated by the competent authority,

– animal waste including blood originating from animals which showed, during veterinary inspection carried out at the time of slaughtering, clinical signs of disease communicable to man or other animals,

– those parts of animals slaughtered in the normal way which were not presented for post mortem inspection, with the exception of hides, skins, hooves, feathers, wool, horn, blood and similar products,

– meat, poultry meat , fish, game and foodstuffs of animal origin which were spoiled

– animal waste containing residues of substance which posed a danger to human or animal health,
– milk, meat or products of animal origin rendered unfit for human consumption by the presence of such residues,

– fish or offal from fish which was excluded from human consumption because of clinical signs of an infectious disease,

– processed animal protein derived from high risk material;

VII) has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment and /or processing;

VIII) was packed in new packaging material:

IX) The processing/ manufacturing plant of pet food is located outside 25 km radius of any Avian Influenza infected area (not required if country is free from Avian Influenza).

X). Packing is in sealed containers only.

Official Stamp

Issued at ------------------**on** ------------------

Name and address of Veterinarian

Signature ------------- Date -------------------

SCHEDULE II

[*See clause 3.(vii)]*

List of the countries prohibited for import of pet food of animal origin

In case the pet food product of animal origin contains the meat or its products, edible or non-edible organ or tissue from ruminant origin from countries positive for Transmissible Spongiform Encephalopathy.

FORM A

[*See* clause 3 (ii)]

APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT OF LIVE-STOCK PRODUCTS FOR PERSONAL CONSUMPTION

To

The Joint Secretary
Trade Division
Government of India
Department Of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
Ministry Of Agriculture,
Krishi Bhawan,
New Delhi-110001. [the Designated Competent Authority]

The undersigned hereby applies for a permit authorizing the import of pet food products of animal origin as per details given below --

(Please write/type in block letters)

1. Name and exact description of Livestock Products along with ITC (HS) code to be imported:
2. Description of the consignment and quantity:
3. Name and address of the consignor:
4. Name and address of the importer:
5. Country and locality in which produced:
6. Country from which imported into India:

7. Foreign port of shipment:
8. Approximate date of arrival of the consignment in India:
9. Name of (airport/sea port port/land customs station*) point of entry in India:

DECLARATION

I declare that the information furnished herein above is correct to the best of my knowledge and belief:

I undertake to produce all documents and certificates, if any, as specified in the sanitary import permit applied for herein.

Signature of the importer or his authorized agent.
Name:
Postal address

Place:
Date:

- strike out whichever is not applicable.

FORM B

[See clause 3 (ii)]

APPLICATION FOR PERMIT TO IMPORT LIVE-STOCK PRODUCTS FOR TRADING/MARKETING

To

The Joint Secretary
Trade Division
Government of India
Department Of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
Ministry Of Agriculture,
Krishi Bhawan,
New Delhi-110001. [the Designated Competent Authority]

The undersigned hereby applies for a permit authorizing the import of pet food products of animal origin as per details given below: -

1. Name and full postal address of Importers

2.

S.No	Exact description of livestock products with Indian Trade Classification (Harmonised System)- ITC)HS) code	Details of livestock from whom it is produced	Quantity	
			Number of packages	Total weight/ Volume
1	2	3	4(a)	4(b)

3.Catalogue of livestock products producer establishing identify of the livestock products/material to be imported.

4. Name and address of the producer::
5. Name and address of the consignor :
6. Country and locality in which livestock products produced:
7. Country from which imported into India:
8. Foreign port of shipment :
9. Approximate date of arrival of the consignment in India:
10. Name of (airport/sea port/land customs station *) point of entry in India :

DECLARATION

I declare that the information furnished is correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to produce an official Sanitary-phytosanitory certificate with additional declaration, if any, as specified in the permit.

Signature of the importer or his authorized agent.
Name:
Postal address:
e-mail address (if any)

Place
Date:

[F. No. 109-6/2001-Trade]
UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.